..... बनाम .....

किस्म मुकदमा कजोड़ 225 ..... मु. नं0 मालाराम 16 ..... वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5-2-2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अदालत मातहत आराजी ख0नं0 266, 267, 268, 269 कुल किता-4 रकबा 1.86 हैक्टर पर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय आदेश पारित किया है जबकि विवादित आराजी का आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व ही बाहमी बटवारा कर मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार दर्ज है । अदालत मातहत ने रेकार्डेड खातेदार काश्त कारो को बिना सुनवाई का अवसर दिये ग0 आदेश पारित किया है जो एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध नहीं दिया जा सकता ।अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 11-01-2018 की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे । बहस बगौर समाहत की गई ।अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अपने आदेश में विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश देकर अप्रार्थीगण की तलबी के नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 15-2-2018 को पेश होने के आदेश दिये हैं। योग्य अदालत मातहत का यह आदेश अन्तरिम आदेश है जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 15-2-2018 नियत की है। प्रार्थना पत्र का दोनों पक्षों को सुनकर ही अन्तिम निर्णय किया जावेगा ।जिसके लिये अदालत मातहत ने नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं ।इस कारण अदालत मातहत के उक्त अन्तरिम आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	नहीं मानते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन में के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाकर पक्षकारों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अदालत मातहत में प्रकरण में नियत पेशी पर हाजिर होकर अपना जबाब पेश करें । निर्णय सुनाया गया । 5/2/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	